राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 3765/2022

सरोज कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2022
आदेश की दिनांक : 18.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री जलीम खान, अधिवक्ता
राज्य सरकार की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संतोषपुरा जिला सीकर से राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोई, सुजानगढ जिला चूरू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम–2011, के नियम–8(3) के विपरीत जाकर पारित किया गया है, क्योंकि ऐसे स्थानांतरण में पंचायती राज विभाग की सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
2. इस अपील में इस अधिकरण द्वारा दिनांक 30.09.2022 को स्थगन आदेश पारित कर आलौच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे और यह निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी द्वारा पृथक से एक प्रार्थना पत्र एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किये जाने हेतु भी प्रस्तुत किया है। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण के स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

दिनांक 24.09.2022 को स्थानांतरण आदेश पारित कर निजी प्रत्यर्थी ओमप्रकाश का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतोषपुरा, सीकर में कर दिया गया था। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया। इस तथ्य को इस अपील में छिपाया गया है। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतोषपुरा में दिनांक 30.09. 2022 को कार्यग्रहण कर लिया।

3. अपीलार्थी की ओर से जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि उन्होंने स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात माननीय अधिकरण ने विभाग की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुनकर स्थानांतरण आदेश के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया था। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2022 को कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 02.10.2022 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संतोषपुरा में प्रधानाध्यापक के पद पर पुनः कार्यग्रहण किया।

4. राजस्थान सरकार की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद धारित कार्मिक है जिसका स्थानांतरण संभाग में कहीं पर भी किया जा सकता है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपीलार्थी के नियोजक हैं तथा नियोक्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएँ कब और कहाँ लेवें। अपीलार्थी का स्थानांतरण करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता में सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है साथ ही अपीलार्थी को नियमानुसार नियमानुसार यात्रा–भत्ता एंव योगकाल भी दिया गया है। जिससे अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

5. हमारे द्वारा पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थी की आपत्ति रही है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम–2011, के नियम–8(3) के विपरीत जाकर स्थानांतरण किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग सहमति प्राप्त नहीं की गई है। यह तथ्य प्रकट हुआ है कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 की पालना में इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संतोषपुरा किया गया था, जहां अपीलार्थी कार्यरत था। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,

संतोषपुरा सीकर से राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोई, सुजानगढ जिला चुरू में किया गया। यह तथ्य भी अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही अपीलार्थी ने राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोई, सुजानगढ में कार्यग्रहण कर लिया। ऐसे में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश की पालना इस न्यायालय के स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही कर ली। अतः स्पष्ट रूप से इस अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 30.09.2022 पारित किये जाने के समय यह तथ्य नहीं रखा गया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश की पालना में सुजानगढ में कार्य ग्रहण कर लिया गया है। जब अपीलार्थी ने पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया था एवं स्थानांतरण आदेश की पालना हो चुकी थी, ऐसे में अपील निरर्थक हो चूकी थी। इसके अलावा यह भी तथ्य हमारे समक्ष प्रकट हुये हैं कि निजी प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संतोषपुरा, सीकर में कार्यग्रहण कर लिया था।

6. उक्त परिस्थिति को देखते हुए हम स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.09.2022 निरस्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नए सिरे से अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिये स्वंतत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)